फर्द अहकाम

बनाम

का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.12.24	पावली पेश हुई। पार्टी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। पार्टी ने गत न्यायालय में पूर्वान्ह-अपराह्न समय पर तीन-तीन घण्टे आवाजे लगवाई लेकिन आवाज लगवाने के उपरांत भी पार्टी को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण पावली अन्तर्गत आर्डर-9 नियम-5 सी.पी.सी. के तहत अग्रिम खारिजी व अग्रिम पेरवी में खारिज की जाती है। पावली केलाश कुमार डोकर नम्बर से नाम डोकर शामिल अफसर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर | |